VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2086)

Name of Candidate	BHANU PRATAP SINGH		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	440668
Center	Online	Date 06/09/23	

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है?

Do you agree with the view that there is a need to enact a new law for ensuring judicial accountability in India? (Answer in 150 words) 10

न्यायिक जवाबदेही से तात्पर्य न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, नियुक्तियों, वार्षिक परफार्मेंस इत्यादि के संबंध में जवाबदेहीपूर्ण होना

यः ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक परफार्मेंस रिपोर्ट जारी करना।

न्यायिक जवाबदेही कानून की आवश्यकता

① बड़ी संख्या में लंबित वाद : 5 करोड़ से अधिक

② न्यायिक नियुक्तियों की कोलेजियम प्रणाली
↳ अपारदर्शी तथा गैर जवाबदेह।

③ किसी संवैधानिक प्रावधान या कानून में
• न्यायिक जवाबदेही का प्रावधान नहीं
यः अनु० 211, 121 न्यायाधीशों के संबंध में चर्चा को संसद व विधानमण्डल में प्रतिबंधित करते हैं।

(4) न्यायपालिका में तथाकथित भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद।

(5) न्यायिक नियुक्तियों में विलंब व खाली पदों की भारी संख्या- eg! 5000 पद निचली न्यायपालिका में
4000 उच्च न्यायालयों में

(6) महिलाओं की कम संख्या- eg! 37%

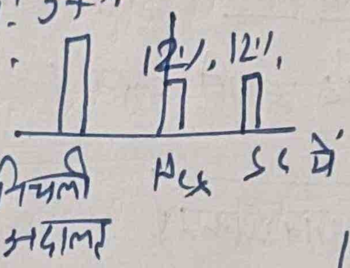

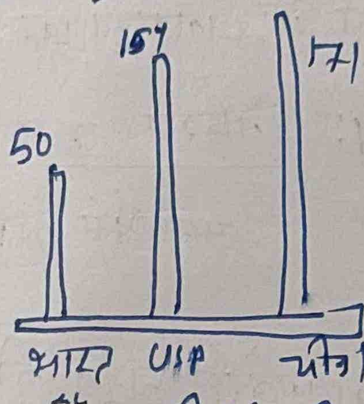

न्यायाधीशों की कम संख्या / 10 लाख आबादी।

आगे की राह

(1) न्यायिक जवाबदेही कानून 2010 पारित करना
(2) न्यायपालिका को PIL के दायरे में लाना
(3) सम्पत्ति पोर्टल (जजों की सम्पत्ति) का आवश्यक प्रदर्शन
(4) नियुक्तियों में तीव्रता लाना।

वस्तुतः ओडिशा HC की प्रणाली को पूरी न्यायपालिका में अपना, पारदर्शिता व जवाबदेही (नियुक्ति प्रणाली) सहित वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना चाहिए

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) में संवैधानिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य रहा है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए।

Constitutionally reconciling Fundamental Rights with the Directive Principles of State Policy (DPSPs) has been a tough task since the inception of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

संविधान के भाग 3 अनुच्छेद (12-32) में मूल अधिकार तथा भाग IV अनु० (35-51) में नीति निदेशक तत्वों की चर्चा है।

FR	DPSP
(1) न्यायालय में प्रवर्तनीय	(1) गैर-प्रवर्तनीय प्रकृति।
(2) राजनीतिक लोकतन्त्र का आधार।	(2) सामाजिक-आर्थिक लोकतन्त्र का आधार
(3) नागरिकों को मिलने कुछ मूलभूत अधिकार	(3) राज्य के लिए नीति निर्माण में निदेशक व मार्गदर्शक

स्वतन्त्रता पश्चात से संतुलन में कठिनाई

(1) शंकरीप्रसाद वाद: अनु० 31 (सम्पत्ति के अधिकार) तथा अनु० 39 (संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण) में द्वंद्व न्यायालय ने मूल अधिकारों को संशोधनीय माना व्यापक हित में अनु० 39 प्रभावी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ गोलकनाथ वाद (1967) : उच्चतम न्यायालय ने कहा → मूल अधिकार असंशोधनीय अर्थात DPSP पर अधिभावी हैं। अनु० 31 छेद अनु० 14, 19, 21 पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

④ केशवानंद भारतीवाद : 24th संविधान संशोधन में अनु० 39 को 14, 19 से दी गयी प्राथमिकता निरस्त तथा मूल ढाँचे का प्रावधान लागू अर्थात FR, DPSP संशोधनीय पर मूल ढाँचे से अन्य।

⑤ मिनर्वा मिल्स वाद (1980) उच्चतम न्यायालय FR व DPSP में संतुलन ही संविधान का मूल उद्देश्य।

वर्तमान में मूल कर्तव्यों (अनु० 51A) तथा मूलअधिकारों में भी संतुलन की बात होती है। गांधी जी ने भी कहा है - " कर्तव्य ही अधिकारों के स्रोत हैं।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भारत में नीति-निर्माण को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Discuss the functions performed by the Prime Minister's Office (PMO) and its role in shaping policy-making in India. (Answer in 150 words) 10

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) प्रधानमंत्री जी का मुख्य कार्यालय है जहाँ नीतिगत, प्रशासनिक तथा अंतराष्ट्रीय, सुरक्षा, आपदा तथा अन्य आवश्यक संबंद्ध कार्यों की सम्पूर्ण औपचारिकताएँ क्रियान्वित की जाती हैं।

PMO के कार्य

(1) प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों सेड्यूल का निर्धारण, आयोजन

(2) प्रधानमंत्री जी के निर्णयों का कार्यान्वयन तथा विभिन्न मंत्रालयों से समन्वय साधना।

(3) संबंधित विषयों पर नीति क्रियान्वय देखरेख इत्यादि कार्य करना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राज्यों संबंधी निर्णयों का निपटान आदि।

(5) लोगों से PM के जुड़ाव के कार्य यथा: पत्राचार आदि।

नीति निर्माण में भूमिका

① महत्वपूर्ण संगठन PMO के तहत कार्य करते हैं।
उदा: इसरो

② विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी व पर्यवेक्षण करना।
उदा! स्वच्छ भारत मिशन (SBM) व PM आवास योजना ग्रामीण की

③ विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु आंकड़े तथा सूचनाएँ प्रधानमंत्री जी को उपलब्ध कराना। → राज्यों से संपर्क।

④ आपदा में नीति निर्माण → NDRF को दिशानिर्देश
↳ युद्ध आदि में ↳ अधिकारियों की प्रत्यक्ष मॉनीटरिंग

समग्रत: PMO प्रधानमंत्री के लिए हर समय उपलब्ध होना देश के विकास, महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण, नीति क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के प्रावधानों की पुनरीक्षण करने और उन पर पुनर्विचार करने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

Re-examination and reconsideration of the provisions of Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) requires striking a balance between concerns of civil liberties and human rights, and maintaining and protecting the sovereignty and integrity of India. Comment. (Answer in 150 words) 10

IPC की धारा 124(A) देशद्रोह संबंधी अपराध को परिभाषित करती है। - निर्वाचित सरकार के विरुद्ध, अविश्वास उत्पन्न करना 'अप्रीति' फैलाना, देश की एकता अखण्डता को हानि पहुँचाना अपराध है।

मानवाधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता संबंधी चिंताएँ

① IPC 124 A का अत्यधिक उपयोग
 eg: पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी

② मानवाधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता समर्थन के विशेषज्ञों द्वारा आरोप।

③ राजनीतिक विरोधियों के दमन में धारा का प्रयोग।

④ अपराध सिद्धि की न्यून दर। eg:(3-33%)

⑤ कार्यपालिका को गैर जवाबदेह एवं बड़ी शक्ति

संप्रभुता व अखण्डता हेतु IPC 124 'A'. की आवश्यकता

① देश में उग्रवादी तत्वों की उपस्थिती
यथा: हालिया मणिपुर हिंसा।
यथा: NGSM-IM, ULFA आदि

② माओवादी गतिविधियाँ यथा: हालिया NIA द्वारा UP में गिरफ्तारियाँ।

③ हिंसात्मक घटनाओं में IPC 124 A की आवश्यकता थी यथा: नूंह हिंसा

संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण

- उच्चतम न्यायालय — IPC-124 A पर सरकार पुनर्विचार करे
- विधि आयोग — 124A समाप्त हो
- विभिन्न देश — यथा: आस्ट्रेलिया, UK में समाप्त।

वस्तुतः हालिया 'भारत न्याय संहिता' 2023' में IPC 124 A को समाप्त कर दिया गया है।

5. "ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।" टिप्पणी कीजिए।

"Citizen participation is key to the success of e-governance initiatives in rural India." Comment. (Answer in 150 words) 10

ई-गवर्नेंस पहलें वस्तुतः 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत 'सुशासन' व सेवोत्तम सुनिश्चित करने हेतु प्रयास है। यथा: जनधन खाते में DBT, PDS का बायोमिट्रिक आथेन्टिकेशन, मनरेगा एप पर हाजिरी लगाना आदि।

ग्रामीण भारत में आवश्यकता

- ग्रामों को सीधे सरकार से जोड़ना → द्वार पर सरकार।
- लोगों में कम जागरूकता
- दूर दराज तक सरकार की पहुँच बढ़ाने हेतु यथा पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र।
- भ्रष्टाचार रहित गवर्नेंस की पहुँच बढ़ाना
- 'विकसित भारत' के लक्ष्य हेतु गांवों का विकास बढ़ाना।

नागरिक भागीदारी का महत्व

(1) जागरूकता व प्रभावशीलता बढ़ेगी।

यथा: CPGRAMS व मुख्यमंत्री पोर्टल (UP)

की जानकारी।

③ नागरिक भागीदारी → अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। eg: डिजिटल सोशल ऑडिट।

④ डिजिटल पहुँच में वृद्धि होगी तथा डिजिटल डिवाइड समाप्त होगा। eg: बिहार में केवल 55% मोबाइल कनेक्शन धारक।

⑤ लैंगिक समानता तथा वंचित वर्गों को लाभ।
eg: दिव्यांग, LGBTIQ+ तथा बुजुर्ग।
eg: बुजुर्गों को ई-गवर्नेंस से घर पर पेंशन पहुँचाना।

वस्तुतः SHGs में डिजिटल सखी बनाना, पंचायतों से सहयोग, भारतनेट परियोजना को तेजी से पूरा करना जनसेवा केन्द्रों की सहायता लेना व सभी प्रशासनिक समस्याओं को समाप्त करना आदि प्रयास करने चाहिए। केन्द्र राज्य समन्वय।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. आपके अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपनी शुरूआत के बाद से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा है?

How far do you think the Aspirational District Programme has been able to achieve its objectives since its inception? (Answer in 150 words) 10

अकांक्षी जिला कार्यक्रम (2018 नीति आयोग) भारत के पिछड़े जिलों का समग्र आर्थिक, सामाजिक विकास सुनिश्चित कर उन्हें विकसित करने के उद्देश्य से लाया गया था।

उद्देश्यों की प्राप्ति

1. पेयजल उपलब्धता में वृद्धि हुयी है eg: जलजीवन मिशन का प्रभाव।
2. स्वच्छता, जागरूकता में वृद्धि। eg: स्वच्छ भारत मिशन।
3. स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग में वृद्धि हुयी है eg: उज्ज्वला योजना। तथा PM कुसुम।
4. स्कूलों में नामांकन दर में वृद्धि हुयी है
5. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत → eg: जननी सुरक्षा में वृद्धि। → माता व नवजात पोषण में वृद्धि। MMR, IMR में कमी हुयी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि अभी भी निम्न सीमाएँ हैं

① स्टंटिंग व वेस्टिंग → 37% तक
↳ एनीमिया माताओं में 50% तक

② कोविड के पश्चात → लड़कियों की ड्रापआउट में वृद्धि (असर रिपोर्ट)

③ रोजगार की कमी है। eg: मनरेगा बजट में कमी (2023 बजट)

④ इंटरनेट पहुँच व डिजिटलीकरण में चुनौतियाँ हैं। eg: केवल 35% महिलाओं के पास फोन।

⑤ अवसंरचनागत असमताएँ ↳ जनजातीय आकांक्षी eg: सड़के, अस्पताल जिलों में अल्प एनालॉग प्रभाव।

वस्तुतः पंचायतों का सशक्तीकरण करना, जनजातीय क्षेत्रों में पेसा-1996 संस्थाओं का सशक्तीकरण, SDG लोकलाइजेशन के प्रयास करना, अधिक फंड देना, केन्द्र राज्य समन्वय तथा बेहतर मानीटरिंग व्यवस्था करना स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में ... , आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. NGO क्षेत्रक को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
Technology has a crucial role to play in advancing the NGO sector and improving outcomes for beneficiaries. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

NGO संरचनात्मक रूप से व्यवस्थित तथा किसी उद्देश्य के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन होते हैं।

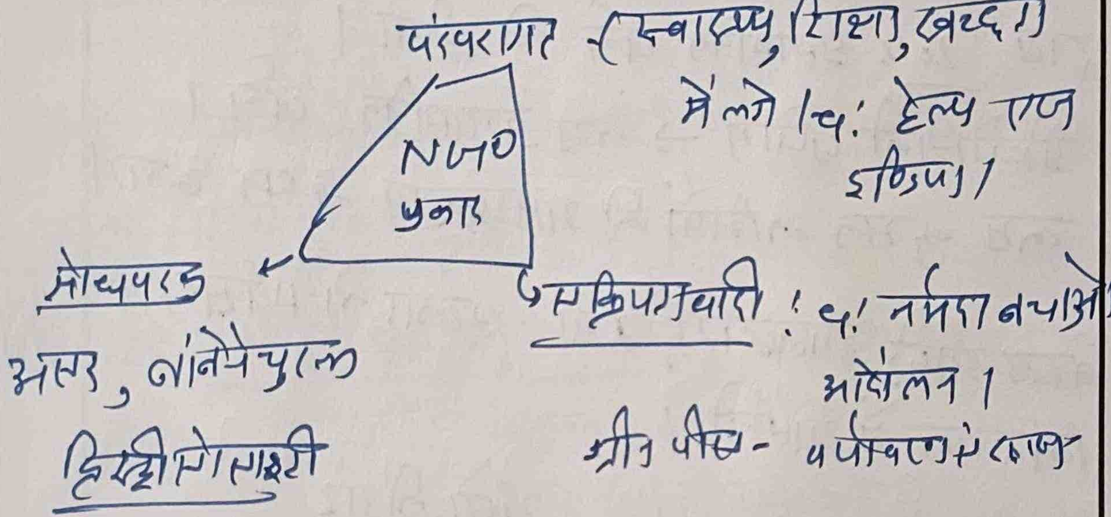

NGO को बढ़ाने व लाभार्थी आउटकम्स बढ़ाने में

प्रौद्योगिकी के लाभ

(1) बेहतर योजना क्रियान्वयन eg: हेल्प एज इंडिया द्वारा इंटरनेट में वृद्धों का स्वास्थ्य मॉनीटरिंग तथा पेंशन आदि की स्थिति जानने में सुविधा

(2) बेहतर देखरेख व शोध प्रणाली: eg: ~~असर~~

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

'NGO प्रथम' द्वारा डिजिटल रूप से बेहतर डाटा उपलब्ध होगा।

ex: WWF पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर पाएगा।

③ NGOs का सशक्तीकरण होगा ex: FCRA -2010

- द्वारा 20% प्रशासनिक खर्च की सीमा।
- प्रौद्योगिकी प्रयोग → कम प्रशासनिक खर्च।
- कम कुशल कर्मियों की आवश्यकता → धन बचत।

④ बेहतर आंकड़े उपलब्धता, तथा सरकार से पर्यवेक्षण व विनियमन में आसानी।

चुनौतियाँ

① FCRA सीमाएं - विदेशी अनुदान / ↳ 20% प्रशासनिक सीमा

② जटिल लाइसेंसिंग प्रणाली

आगे की राह

① ↳ NGOs को तकनीकी प्रौद्योगिकी ड्रिवेन बनाना

② प्रशासनिक सहायता व फंड, प्रशिक्षण देना

वस्तुतः NGOs का सशक्तीकरण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व भारत के डिजिटलाइजेशन में मददगार होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. तकनीकी और उन्नतर शिक्षा के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश से जुड़े निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Discuss the implications associated with the entry of foreign educational institutions for technical and higher education in India. (Answer in 150 words) 10

हाल ही में UGC ने विदेशी शिक्षण संस्थानों (FEIs) को भारत में संस्थान खोलने के लिए विनियामक प्रावधानों को जारी किया।

विदेशी संस्थानों के आगमन से भारत को तकनीकि व उच्च शिक्षा संबंधी लाभ:

① विदेशी शिक्षा पद्धति, फैकल्टी, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ भारत आएंगी
↳ भारतीय संस्थानों को सीखने के मौके

② 'ब्रेन गेन' बढ़ेगा → विदेशी शिक्षकों, विद्यार्थियों (नेपाल, अफगान, बांग्लादेशी, ईरानी etc)

③ विदेशों में जानेवाले भारतीय छात्रों को रोकने में लाभ! eg:- प्रति वर्ष 5 लाख → 15 BUSD खर्च

④ उच्चतर शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने में सहायता
eg: NEP 2020 का 2035 तक 50% GER लक्ष्य।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ ① जटिल विनियामक संरचना (शिक्षा संबंधी नीतियाँ) ये: शिक्षा मंत्रालय, UGC, राज्यों के भिन्न विनियामक ढाँचे।

② अनिच्छुक विदेशी संस्थान :- अभी तक अच्छे संस्थानों से प्रस्ताव नहीं आए।

③ पाठ्यक्रम की विषयवस्तु संबंधी चिंताएँ ये: ऐसे विषय पढ़ाए जा सकते जो भारत में न चले। ये: UK के संस्थान औपनिवेशीक काल को अच्छा बताते हैं।

④ शिक्षकों की नियुक्ति, फीस की सीमा संबंधी चुनौतियाँ।

वस्तुतः बेहतर व सरल विनियमन करना, भारतीय संस्थानों (ये! JNU, DU, IITs) को विदेशी संस्थानों से टाई-अप करना, सरकार द्वारा सब्सिडी देना (ये: भूमि उपलब्धता, पर्यावरण अनुमति दूर) आदि। द्वारा विदेशी संस्थानों के आगमन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच फलता-फूलता संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। परीक्षण कीजिए।

The flourishing relationship between India and countries of Latin America has become a critical element of India's foreign policy. Examine. (Answer in 150 words) 10

लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको के दक्षिण में स्थित लैटिन से व्युत्पन्न भाषी (पुर्तगाली, स्पेनी व फ्रेन्च) भाषी देश हैं।

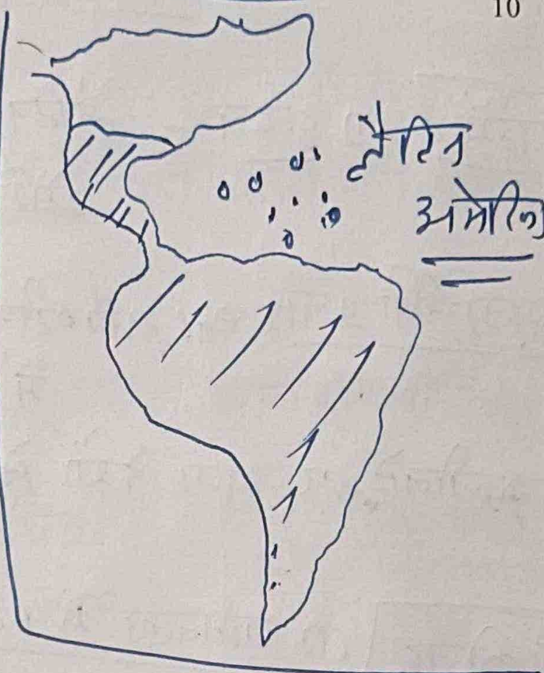

भारत के साथ फलता फूलता संबंध

① बढ़ती व्यापारिक भागीदारी eg: 50 BUSD का द्विपक्षीय व्यापार।

② बेहतर प्राकृतिक संसाधन eg; → पेट्रोलियम (वेनेजुएला) (कैरेबियन)
↳ कोबाल्ट, गोल्ड (ब्राजील)
↳ लीथियम (बोलिविया, अर्जेन्टिना)

③ आर्थिक संबंध – भारत द्वारा कैरेबियन देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट।

④ बहुपक्षीय सहयोग : eg: ब्राजील → ब्रिक्स में
UNSC में G4 ग्रुप (ब्राजील शामिल)

(5) 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ' - साउथ, साउथ बढ़ता कॉपरेशन तथा NAM की लीगेसी।

चुनौतियाँ (1) दूरस्थ - लैटिन अमेरिकी देशों की भौगोलिक दूरी

(2) बढ़ता चीनी प्रभाव ex! अर्जेन्टीना, वेनेजुएला, ब्राजील में।

(3) ब्राजील के इतर अन्य देशों से ऊर्जावान रिश्ते नहीं

आगे की राह (1) पर्यावरण में सहयोग
↳ UNFCCC - पेरिस लक्ष्य
↳ ISA में जोड़ना।

(2) UN में सहयोग बढ़ाना - दक्षिण की आवाज़।
↳ रूस-यूक्रेन युद्ध प्रभाव को कम।

(3) सहयोग - वैक्सीन, डिप्लोमेसी, प्राकृतिक व आपदा में।

(4) USA से सहयोग - चीनी प्रभाव कम करने में।

वस्तुतः बहुपक्षीय बहुआयामी दृष्टि के साथ PM के

4(R) Respect, Recognise, Respond व Rebuild रणनीति

को अपनाकर संबंध मजबूत करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. ऋण-जाल कूटनीति क्या है? चीन की ऋण-जाल कूटनीति भारत के पड़ोस में भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करती है?

What is debt-trap diplomacy? How does China's debt-trap diplomacy impact India's interests in its neighbourhood? (Answer in 150 words) 10

ऋण जाल कूटनीति चीनी विदेश नीति की 'वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी' तथा 'चेकबुक डिप्लोमेसी' का भाग है।

इसमें
- संबंधित देश को महंगा कर्ज देना
- कर्ज चुकाने को पुनः कर्ज देना
- देश को आर्थिक दीवालिया बना देना।
- भूमि हड़पना या दबावपूर्ण समझौते करना

पड़ोस में भारतीय हित
- ('पड़ोसी प्रथम' व 'एक्ट ईस्ट') की सफलता हेतु
- सुरक्षा (ए: पाकिस्तान व म्यांमार सीमा)
- हिन्द महासागर में समग्र सुरक्षा प्रदाता की भूमिका।
- कनेक्टिविटी सफल बनाने हेतु ए: BBIN, IMT, तापी मेकांग गंगा।
- सागरमिशन की सफलता हेतु।

चीन की ऋण जाल नीति से भारतीय हितों पर प्रभाव

Don't write anything in margin (कृपया हाशिए में कुछ ना लिखें)

① <u>बढ़ता चीनी प्रभाव</u> था। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार बांग्लादेश में।

② <u>चीन का साम्राज्यवादी विस्तार</u>! था। <u>हंबनटोटा</u> व <u>ग्वादर</u> में पोर्ट, जिबूती, कंबोडिया में आर्मी बेस।

③ <u>बढ़ती कनेक्टिविटी</u>

था: ट्रांस हिमालय रेलवे (<u>नेपाल में</u>)

था: <u>CPEC</u> व <u>BRI</u> (पाकिस्तान में)

(इनका सैन्य उपयोग संभव)

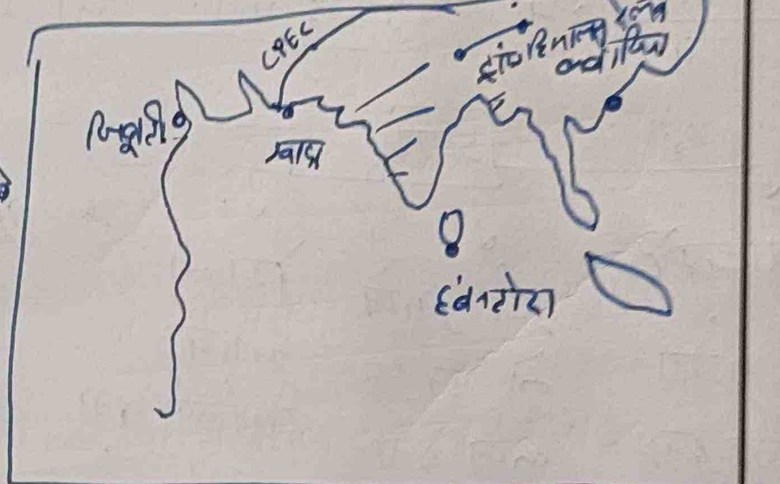

④ <u>बढ़ता चीनी ऋण व व्यापारिक भागीदारी</u> था। पाकिस्तान में → भारत के विरुद्ध प्रयोग।

वस्तुतः <u>S. जयशंकर जी</u> के अनुसार भारत को "<u>Unintegrated region, Unexploited opportunity व Unsettled Border</u>" हेतिपरक चीनी प्रभाव कम करना चाहिए। पड़ोसियों की सहायता, बहुपक्षीय सहयोग (था। बिम्सटेक, QUAD) <u>आदि में</u>

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. विश्व भर के विभिन्न संविधानों का मिश्रण होने के बावजूद, भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी कीजिए।

Despite being an amalgamation of various constitutions from across the world, the Indian Constitution imbibes social justice, pluralism, and equality through its various provisions. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों के संविधानों से बहुत कुछ ग्रहण करने के बावजूद भारतीय विविधता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, नृजातीय आवश्यकताओं के अनुसार मौलिक व्यवस्थाएँ बनायी थी।

विभिन्न संविधानों का मिश्रण

① ब्रिटेन से – संसदीय प्रणाली, मंत्रीमण्डलीय व्यवस्था, निर्वाचित सरकार, सार्वभौम मत प्रणाली आदि। विधि का शासन

② अमेरिकी संविधान से : उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका।

③ USSR से – मौलिक कर्तव्य व आपातकालीन प्रावधान।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) कनाडा - संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद।

(5) आस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची का प्रावधान व उद्देशिका की भाषा आदि।

वस्तुतः इन प्रावधानों के बावजूद भारतीय संविधान ने निम्न मौलिक प्रावधान स्वयं में आत्मसात किए।

(1) सामाजिक न्याय: (i) समानता का अधिकार (अनु० 14-18) - अस्पृश्यता निषेध तथा, अनु० 15, 16 में कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण के प्रावधान,

(ii) DPSP के अनु० 38 (कल्याणकारी राज्य) अनु० 39 - समान कार्य समान वेतन अनु० 46 - सामाजिक न्याय आदि

↳ सबको समान अवसर हेतु क्षेत्र में समान अधिकार

(2) बहुलवाद व समानता हेतु

(i) अनु० (25-28) - धार्मिक स्वतन्त्रता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) अनु० 29-30 सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के अधिकार ।

(iii) अनु० 14, 19, 21 (गोल्डन ट्रायंगल) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग से रहित सबको समानता, स्वतन्त्रता देता है.

(iv) अनुसूची 5th, 6th द्वारा बहुलवाद (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण), पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना

(v) अनु० 371 (A, B, C, D) द्वारा विभिन्न राज्यों हेतु उनकी विशेष स्थिति के अनुरूप विशेष प्रावधान ।

समग्रतः डॉ अंबेडकर के अनुसार 'भारतीय संविधान भारत की महत्वाकांक्षाओं तथा उसकी सम्पूर्ण स्थिति के विश्लेषण के बाद निर्मित किया गया है',

इसीलिए यह समानता, स्वतन्त्रता, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद इत्यादि लोकतान्त्रिक प्रावधानों को आत्मसात किए है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. हाल के कुछ घटनाक्रमों ने भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे को प्रकाश में लाया है। देश में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिए कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Recent developments have brought to light the issue of criminalizing marital rape in India. Analyse the implications of ensuring legal protection for victims of marital rape in the country. (Answer in 250 words) 15

वैवाहिक बलात्कार में पति/पत्नि द्वारा अपने जीवनसाथी के साथ जबरन यौन क्रिया में शामिल करना शामिल किया जाता है। हाल में विभिन्न घटनाओं तथा उच्चतम न्यायालय में दी PIL में वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे को पुनः प्रकाशित किया है।

वैवाहिक बलात्कार को कानूनी संरक्षण देना

पक्ष: (1) वैवाहिक बलात्कार
↳ निर्णय स्वतन्त्रता, शारीरिक स्वतन्त्रता (अनु० 21) का हनन।

(2) यह घरेलू शोषण, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। eg: 6% महिलाओं ने घरेलू हिंसा को स्वीकारा (NFHS-5)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) किसी भी तरह के शोषण से बचाव का अधिकार
व्यक्ति का मौलिक अधिकार → संरक्षण राज्य का कर्तव्य।

(4) 'विधि आयोग', 'राष्ट्रीय महिला आयोग'
वैवाहिक बलात्कार को अवैध बनाया जाए।

(5) अधिकांश समय पीड़ित महिलाएँ
↳ अनिच्छुक गर्भ → असुरक्षित गर्भपात
⇓
मातृमृत्यु दर ⇐ स्वास्थ्यगत खतरे।
एनीमिया में वृद्धि।

विपक्ष में तर्क

(1) केन्द्र सरकार का पक्ष: भारत में विवाह एक पवित्र संस्था- इसको अवैध बनाना
⇓
विवाह संस्था पर नकारात्मक प्रभाव।

(2) प्रमाणित सिद्ध करना मुश्किल की बलात्कार हुआ था नहीं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) दुरुपयोग की संभावना !
eg: UPHC - "विभिन्न मामलों में दहेज कानून का दुरुपयोग हो रहा है"

(4) कानून के लिंग निरपेक्ष होने की संभावना कम
↳ इससे पति-पत्नी में अविश्वास बढ़ेगा

आगे की राह (1) व्यापक चर्चा
(संसद, सिविल सोसाइटी, बुद्धिजीवी वर्ग में)

(2) महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

(3) अन्य कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू करना
eg: घरेलू हिंसा कानून, दहेज प्रतिषेध आदि।

वस्तुतः समाज में व्यापक चर्चा बढ़ाना तथा विशेषज्ञ समिति गठित करना, विधि आयोग से परामर्श व विवाह आयु में वृद्धि आदि प्रयास करने चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. "संघवाद के भारतीय मॉडल की अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण आलोचना की जाती है, लेकिन यह राज्यों को पर्याप्त अवसर और स्वायत्तता भी प्रदान करता है" विश्लेषण कीजिए।

"The Indian model of federalism has been criticized for being too centralized, but it also provides adequate space and autonomy to the states." Analyse. (Answer in 250 words). 15

"भारतीय संघीय ढाँचा समय व परिस्थिति के अनुसार संघात्मक से एकात्मक हो सकता है" डा. अंबेडकर

"हमने राज्य स्वायत्तता सहित सुदृढ़ केन्द्र व्यवस्था वाला संघात्मक ढाँचा निर्मित किया है" (डा. अंबेडकर)

भारतीय संघवाद के अत्यधिक केन्द्रीकरण करने वाले संवैधानिक प्रावधान :

(1) सातवीं अनुसूची : संघ सूची में अधिक (100) तथा महत्वपूर्ण विषय - यथा रक्षा, विदेश मामले आदि

(2) आपात प्रावधान / अनु० 352 में देश का एकात्मक हो जाता, 356 - राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था।

(3) संविधान में प्रदत्त - एकल नागरिकता व एकल नियाय की व्यवस्था

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ विभाजी राज्यों का अविनाशी संघ:
यः अनु० 3 - संसद किसी राज्य का
↳ सीमा परिवर्तित कर सकती।
↳ क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती
↳ नाम परिवर्तित कर सकती

⑤ राज्यपाल का पद: → केन्द्र द्वारा नियुक्ति।
↳ राज्य विधानमंडल राज्यपाल की अनुमति से ही कानून बना सकता।

⑥ सेना, सुरक्षा, किसी अखिलांश मामले (पुलिस का) आदि में केन्द्र का नियंत्रण

केन्द्रीकरण की बढ़ी प्रवृत्ति: ① GST का कार्यान्वयन

② एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजनाएं
यः आयुष्मान भारत

③ बढ़ता केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का आकार।
↳ राज्यों की अनिवार्य सहयोग बाध्यता

④ राज्य सूची पर कानून निर्माण की प्रवृत्ति
यः हालिया कृषि कानून, 97वां संविधान संशोधन

हालांकि संविधान राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता देता ⑤

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसे (1) उच्चतम न्यायालय - राज्य अपनी शक्तियां संविधान से लेते हैं।

मिनर्वा मिल्स वाद (1980), - संघवाद 'आधारभूत ढाँचे का भाग'
→ संविधान में स्पष्ट विभाजित शक्तियां।

(2) राज्यों की कानून निर्माण क्षमता - विधानमंडल
↳ राज्यसूची - 59 (विषय) → पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, भूमि संबंधी महत्वपूर्ण विषय]

(3) राज्य सरकार को राज्य में अपने अनुरूप योजना क्रियान्वयन तथा योजना निर्माण, नीति क्रियान्वयन का अधिकार है।

(4) राज्य की कार्यपालिका, मंत्रीपरिषद, बजट, वित्तीय अधिकार

वस्तुतः भारतीय संविधान सहकारी संघवाद की ओर उन्मुख हुआ है हालिया समय में प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा भी मज़बूत हुयी है यथा! लॉजिस्टिक्स इंडेक्स (RBI), स्वच्छता इंडेक्स, इत्यादि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में नियुक्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को मूल रूप से बदल दिया है और इसके संभावित दूरगामी निहितार्थ भी हो सकते हैं। विवेचना कीजिए।

The recent judgment of the Supreme Court on appointments to the Election Commission of India (ECI) has fundamentally changed the appointment process and can have potentially far-reaching implications. Discuss. (Answer in 250 words) 15

हाल में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की निर्वाचन प्रणाली संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय दिया

निर्णय के प्रमुख बिन्दु

(i) निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हेतु समिति

समिति में - (PM + CJI + नेता प्रतिपक्ष)

(ii) ECI को पृथक सचिवालय दिया जाए तथा व्यापक स्वतन्त्रता दी जाए।

(iii) निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह (कार्यकाल संरक्षण हो)

यद्यपि मानसून सत्र में सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध एक विधेयक द्वारा इस निर्णय में कुछ परिवर्तन करके निम्न प्रावधान किए हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(1) नियुक्ति समिति - (PM + PM द्वारा नियुक्त मंत्री + नेता प्रतिपक्ष)

(2) कार्यकाल की सुरक्षा - निर्वाचन आयुक्त व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पदच्युत करने की प्रणाली उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान।

(3) निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता निर्धारण
↳ कोई भी सचिव स्तर से कम का अधिकारी नहीं होगा।

नियुक्ति की पूर्व प्रक्रिया में केन्द्र सरकार निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करती थी तथा उन्हें कार्यकाल का संरक्षण नहीं था और योग्यता भी निर्धारित नहीं थी।

दूरगामी प्रभाव - पक्ष

(1) निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बढ़ेगी।
↳ कार्यकाल की सुरक्षा

(2) योग्यता निर्धारण - नियुक्ति में निष्पक्षता व

2086

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विकल्प चयन आसान होगा।

(3) सरकार का प्रभाव कम होगा → आयोग अधिक

निष्पक्ष होकर कार्य करेगा।

विपक्ष

→ नियुक्ति समिति से CJI बाहर

↳ समिति की निष्पक्षता का प्रश्न चिन्ह

↳ आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति

(ii) सरकार के प्रति पक्षपाती होने की संभावना।

आगे की राह

(i) चयन समिति में CJI को शामिल करना

(ii) ECI का स्वतंत्र सचिवालय हो।

(iii) → सदस्यों को संचित निधि में भारित करना।

(iv) → स्वतन्त्रता ↗ कर्मचारी नियुक्ति में DOPT है।

↳ सहयोग में विधि न्याय मंत्रालय है।

(v) RPA-1951 में संशोधन

↳ ECI → को राजनीतिक दल की पंजीकरण रद्द करने की शक्ति देना।

↳ दो जगह से चुनाव (RPA-(33) को दूर समाप्त करना।

समापन:- स्वतन्त्र, निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्याख्या लोकतंत्र की सुदृढ़ ...

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. वैश्विक बदलावों के साथ समेकन और अर्थव्यवस्था के खुलने के परिणामस्वरूप लोक सेवाओं के लिए विविध चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण कुशल सेवा वितरण के लिए उनमें समग्र सुधारों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

Integration with the global trends and opening up of the economy has resulted in diversified challenges for the civil services, which require holistic reforms for efficient service delivery. Discuss. (Answer in 250 words) 15

लोक सेवाएँ देश की स्थायी कार्यपालिका का भाग है इन्हें 'स्टील फ्रेम ऑफ भारत' भी कहा जाता है। वर्तमान में लोक सेवाएँ लोककल्याणकारी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जनता व सरकार के मध्य मुख्य सेतु है।

वैश्विक बदलाव

- विश्व में बढ़ी भारतीय भूमिका ये: 'वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ'
- भारत की बढ़ती वैश्विक क्षमता ये: G20 अध्यक्षता, UNSC अध्यक्षता, बढ़ी सैन्य शक्ति।
- चीनी चुनौती बनाम USA से मित्रता
- बहुपक्षीय संस्थाओं का कमजोर होना ये: UN, WTO तथा आवश्यक सुधार
- रूस-यूक्रेन युद्ध, तालिबान, पाकिस्तान की अस्थिरता।
- IOR में चीनी चुनौती
- पड़ोस में बढ़ता चीनी प्रभाव ये: BRI आदि।

अर्थव्यवस्था का खुलना

- 160 लाख करोड़ की GDP विश्व में 5th
- 765 BUSD से ज्यादा का निर्यात
- बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता ये: चन्द्रयान
- जाब निर्माता
- बढ़ती व्यापारिक भागीदारी ये: भारत-UAE CEPA ये: भारत-Aus CEPA

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इन परिवर्तनों से सिविल सेवाओं के समक्ष आई

चुनौतियाँ

① विशेषज्ञता की आवश्यकता
था: ICJ, WTO भारत की बात रखने हेतु।

② अधिकफुर्ती व अटेंशन की आवश्यकता: था: तेजी से होने वाली घटनाओं में भारतीय पक्ष व रणनीति का क्रियान्वयन था: रूस-यूक्रेन युद्ध, अफ्रीका में होते तख्तापलट।

③ गहन वैश्विक समझ की आवश्यकता: था! मध्य एशिया में, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में भारतीय निहितार्थ खोजना व दूरगामी ध्येय बनाना।

④ बहुआयामी प्रबंधन क्षमताओं की आवश्यकता
था: 2½ फ्रंट वॉर चुनौती, जलवायु परिवर्तन तीव्र प्रभावी अनुक्रिया ⇐ आपदाओं में वृद्धि हेतु
था: कोविड में तीव्र अनुक्रिया आवश्यक।

⑤ निरंतर सूचना अपडेशन, तनाव प्रबंधन व लचीलेपन की चुनौती → बढ़ती भारतीय ताकत।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

समग्र सुधारों की आवश्यकता | **प्रयास**

① PM का SMART ब्यूरोक्रेसी फार्मूला

- सेंसिटिव व स्मार्ट
- मैनेजमेंट स्किल व मोरल
- अलर्ट और सक्रिय
- रिलायबल
- टेक सेवी

② मिशनकर्मयोगी : अधिकसक्षम, सामर्थ्यवान, लचीले लोकसेवकों का निर्माण हेतु

आगे की राह

① बेहतर ट्रेनिंग : आनलाइन, स्किल ट्रेनिंग सुविधा।

② व्यक्तित्व आधारित चयन, ज्ञान आधारित की जगह।

③ लोक सेवकों का चुनौतियों से निपटने की क्षमता आधारित परफार्मेंस एनालिसिस।

समापन : ट्रेनिंग सुधार, भर्ती सुधार व प्रौद्योगिकी प्रयोग को बढ़ावा, रिस्किलिंग से क्षमता निर्माण, पूर्व सिविल सेवकों के अनुभवों से सीखना इत्यादि पहलुओं को प्रभावी बनाना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. भारत में ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में ओपन डेटा क्यां भूमिका निभा सकता है? देश में ओपन डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कौन-सी चुनौतियां विद्यमान हैं?

What role can open data play in promoting transparency and accountability in e-governance in India? What are the challenges in ensuring the quality and reliability of open data in the country? (Answer in 250 words) 15

ओपन डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध गवर्नेंस संबंधी सूचनाएँ है जिनपर लोगों को निर्बाध व पारदर्शितायुक्त पहुँच प्राप्त होती है।

E-गवर्नेंस

- ऑनलाइन शिकायत निवारण eg: CP ग्राम
- तकनीकि आधारित गवर्नेंस eg: पुलिस का 1098 नंबर।
- जनता का रिकॉर्ड रखना eg: e-श्रम पोर्टल, आधार डेटा।
- सीधे योजना लागू करना eg: DBT तथा बायोमीट्रिक आधारित PDS

ओपन डेटा से ई गवर्नेंस की

पारदर्शिता व जवाबदेहिता में वृद्धि

① जन उपलब्धता eg: जनता तक सीधे पहुँच
अधिक जवाबदेह प्रशासन
eg: RTI द्वारा योजनाओं की जानकारी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) उत्तरदायित्व निर्धारण में लाभ
↳ जनता सीधे डाटा विश्लेषित कर सरकार प्रश्न पूछ सकती

(3) बेहतर निर्णय निर्माण ; eg: ओपन डेटा → सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता → निर्णय बहुलिपरक।

(4) लोगों का सशक्तीकरण
eg: ओपन डेटा युक्त मनरेगा का सोशल ऑडिट करना।

(5) प्रभावी योजना क्रियान्वयन में लाभ
eg: e-श्रम पोर्टल का डेटा –
eg: NFSA का डेटा ओपन करके अवैध लाभार्थियों की पहचान उपाय जाना

(6) अकर्मण्य सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही ठहराने में। eg: न्यायालयों में लंबित वादों का ओपन डेटा।

डेटा की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में चुनौतियाँ

(1) सीमित सैंपल साइज eg: PLFS तथा NFHS के छोटे सैंपल साइज।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ आंकड़ो की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न।
उदा: e ग्राम पोर्टल में अधिकांश गैर ग्रामीण
की रजिस्टर्ड → लाभार्थी लाभ के लालच से।

④ डेटा सुरक्षा की कमी।
↳ सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं व अवसंरचनात्मक
चुनौतियां।
उदा: IT-Act 2000 - अत्यधिक पुराना व अक्षम
⑤ गोपनीयता व डिजिटल डिवाइड के मुद्दे।

आगे की राह
① व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून
पास करना
② डिजिटल गवर्नेंस बिल (मानसून सत्र 2023)
↳ को पास करना।
③ टैपल/लाइसेंस में वृद्धि व विविधता लाना
↳ अधिक लोग
↳ सभी भौगोलिक क्षेत्र - उदा - पूर्वोत्तर
दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र

भारत! विश्वसनीय डेटा उपलब्धता
तथा तकनीकि उपलब्धता e गवर्नेंस को प्रभावी
बना भ्रष्टाचार कम करने में सहायक होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. भारत में 'जीरो फूड' बच्चों की व्यापकता को कम करने के लिए मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

To reduce the prevalence of 'zero food' children in India, maternal nutrition needs to be made a priority. Comment. (Answer in 250 words) 15

'जीरो फूड' की स्थिति में बच्चों को 24 घण्टे में थोड़ा भी खाद्य प्राप्त नहीं होता यह उनमें कुपोषण, कमज़ोरी, मानसिक विकास में बाधा तथा बीमारियों का कारण बनता है। यथा: भारत में 37% बच्चों में स्टंटिंग है।

जीरो फूड की व्यापकता

- 16.5% जनसंख्या BPL
- 50% ST समुदाय बहुआयामी गरीब
- 10 मिलियन से अधिक बच्चे बंधुआ मज़दूर (ILO)
- माताओं में कुपोषण यथा: 50% माताओं में एनीमिया

मातृपोषण की आवश्यकता तथा 'जीरो फूड' पर प्रभाव

① मातृपोषण वृद्धि → स्तनपान वृद्धि → बच्चों में कम कुपोषण।

② प्रारंभिक 1000 दिन शिशु को माँ का दूध आवश्यक (WHO)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8) माँ के पोषण से ही बच्चे के पोषण व 'जीरो फूड' पर सीधा प्रभाव
⇓
पोषित माता ⇒ अधिक श्रम क्षमता व उत्पादकता
⇓
आयवृद्धि ⇒ बच्चों को 'जीरो फूड' से बचाव ⇒ पोषित बच्चे ⇒ स्वास्थ्य, शिक्षा कौशल ⇒ पोषित माता

प्राप्ति के उपाय :

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना सुधार
↳ अधिकांश PHC में केवल व्यवस्था
↳ ANM, आशा बहु से जागरूकता अभियान संचालन।

(2) पोषण अभियान का पुनर्निमाण
↳ SDG-2 की प्राप्ति।
↳ माताओं व बच्चों का पोषण स्तर बढ़ाना (ICDS योजना को प्रभावी बनाना)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ गरीबी कम करना व रोजगार सुलभता

बढ़ना → विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में।

PLFS - 2023 (प्रथम तिमाही) - बेरोजगारी 7% तक।

④ खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभावी काबू करना

ध: अतिमहीनों तक मुद्रास्फीति RBI के 4±2 टॉलरेंस बैंड से अधिक थी

ध: गरीब वर्गों का 50% आय खाद्यान्नों में खर्च होती है → अन्य जरूरतों हेतु आय में कटौती → कुपोषण → जीरो फूड।

समग्रतः NFSA में 'मिलेट्स' जोड़ना, पोषण योजना की डिजिटल मॉनीटरिंग व जागरूकता निर्माण (ध: पोषण योजना की दाल व पंजीरी - जानवरों को खिलाने की घटनाएँ)

फूड फोर्टिफिकेशन करना। तथा गरीब बच्चों को खाद्य कूपन या वेशन की व्यवस्था करना। जो देश से विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करना आदि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. हाल ही में, केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी खाद्य सामग्रियों और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। भारत में लोक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं क्या हैं? इनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है?

Recently, the Central government exempted all foods and drugs for rare diseases imported by people for personal use from customs duty. What are the concerns related to rare diseases as a public health issue in India? How can these be resolved? (Answer in 250 words) 15

दुर्लभ रोग प्रायः दुर्लभ आनुवंशिक विकार या 1000 लोगों में 1 को होने वाले प्राकृतिक बीमारियाँ है।

यथा: सिकल सेल एनीमिया।

भारत की संवेदनशीलता व आवश्यकता के चलते सरकार ने संबंधित उपचारात्मक आयातों पर सीमा शुल्क छूट दी है।

भारत में दुर्लभ रोग व चिंताएं

① बड़ी संख्या: 1.4 अरब लोग, दुर्लभ रोगियों की बड़ी संख्या।

② गरीब वर्गों में अधिक प्रभावी: यथा: जनजातीय लोग व निम्न वर्ग

③ उपचार की अति लागत: यथा: कुछ बीमारियों के

ठीक करोड़ रुपये के।

④ आयात निर्भरता : अधिकांश दुर्लभ रोग उपचार
↳ पर आयात निर्भरता।
↳ भारत में R&D कमी।

⑤ प्राथमिक देखभाल व स्वास्थ्य अवसंरचनाओं की
की कमी : eg: 65%. का ऑउट ऑफ पॉकेट
व्यय (आर्थिक सर्वेक्षण 2020)

eg: 75% डाक्टर, 70% अस्पताल, 60%
मेडिकल स्टोर शहरों में।

⑥ गरीबी – 16.5% लोग गरीब
↓
उपचार की कम क्षमता तथा रोग
की सुभेद्यता।

समाधान के उपाय :

① भारतीय आनुवंशिक डेटा मैपिंग
↳ ताकि आनुवंशिक दुर्लभ रोगों की मैपिंग
हो सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ स्वास्थ्य R&D को बढ़ावा → निजी कंपनियों को अधिक सब्सिडी।
↳ NMC (राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल) द्वारा R&D पर फोकस करना।

④ राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (2022) का प्रभावी कार्यान्वयन तथा अधिक बजट बढ़ाना।
↳ इसे आयुष्मान भारत योजना व मानसिक देखभाल नीति-2017 से जोड़ना।

⑤ गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक उपचार सुधार इत्यादि।

समग्रतः स्वस्थ भारत विकसित भारत के लक्ष्य हेतु स्वास्थ्य बजटीय परिव्यय (वर्तमान 2.1% GDP) की वृद्धि करना। राज्य व केन्द्रीय योजनाओं में समन्वय स्थापना तथा पोषण व गरीबी की समस्याओं को समाप्त करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए, इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करने और उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

For realistic and effective collaborations to take place in the Indo-Pacific region, there is a need to acknowledge and recognize the underlining intention of the various countries with stakes in the region. Discuss. (Answer in 250 words) 15

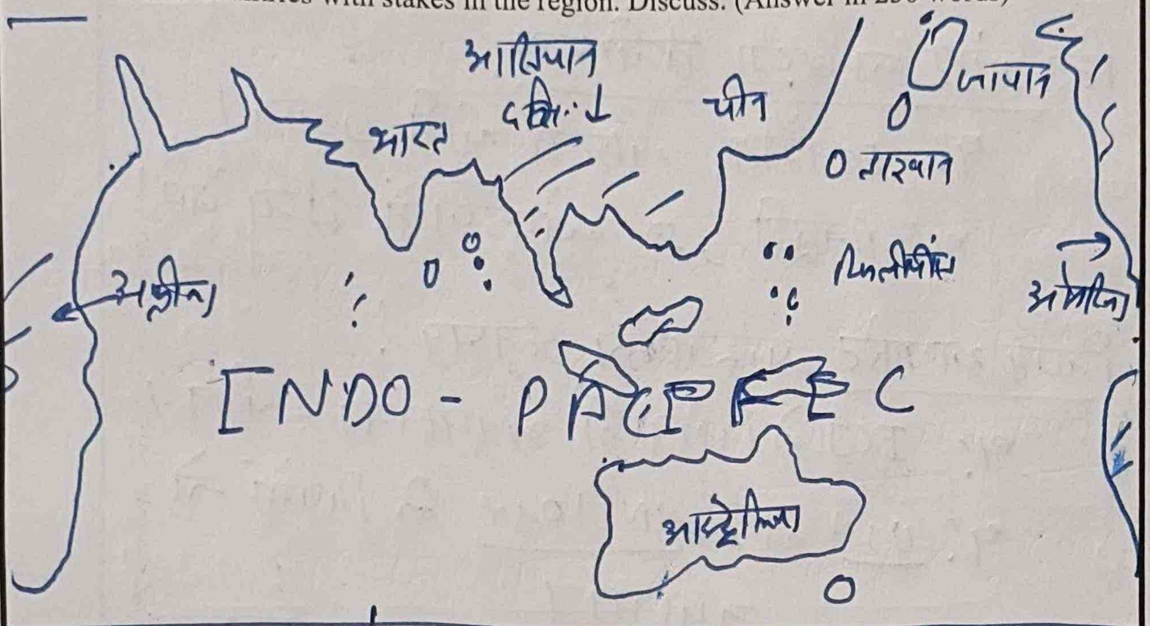

हिन्द प्रशांत क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका से पश्चिमी अमेरिका तक विस्तृत क्षेत्र है।

यथार्थवादी व प्रभावी सहयोग की आवश्यकता

① चीनी चुनौती → मलाक्का डिलेमा स्लाइसिंग तकनीक
↳ दक्षिणी चीन सागर पर अवैध दावा (य: नाइन डैश लाइन)
↓ सैन्यीकरण (विभिन्न द्वीपों पर, कृत्रिम द्वीप निर्माण)

↳ सुरक्षात्मक चुनौतियाँ - यथा! फिलीपींस से सीमा विवाद
↳ ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ आक्रामक सैन्य कार्य - मिसाइल परीक्षण
↳ पनडुब्बीयों से निगरानी आदि।

(2) हिन्द प्रशांत का बढ़ता सैन्यीकरण
यः स्वतंत्रता, भारत में चीनी प्रभाव।
यः जिबूती, एवं कंबोडिया में सैन्य बेस।

(3) नियम आधारित व्यवस्था का उल्लंघन :
यः ICJ के निर्णय की अवमानना - चीन।
यः USA द्वारा UNCLOS के नियमों को नकारना।

(4) आर्थिक हित : हिन्द प्रशांत में प्राकृतिक स्रोत
पेट्रोलियम, धातु खनिज, पॉली मेटैलिक नाड्यूल

(5) प्राकृतिक चुनौतियाँ : सी लेवल राइज (यः 20 cm बढ़ चुका - WMO)
↳ बनाग्नि, भूकंप (इंडोनेशिया) सुनामी आदि।

प्रमुख हित
(1) चीन - BRI व दक्षिण ईस्ट एशिया पर प्रभाव जमाना।
(2) भारत - IOR में समुद्री सुरक्षा प्रदाता, तथा नौपरिवहन प्रभाव व दक्षिण आसियान से आर्थिक ...

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग।
↳ नियम आधारित व्यवस्था का पक्ष पोषक।

(3) USA → प्रभाव कायम रखना, आरलैंड चेन रणनीति।
↳ दक्षिण कोरिया, जापान का सुरक्षा प्रदाता।
↳ चीनी प्रभाव से निपटना।

(4) आसियान → फिलीपींस + वियतनाम– चीनी आक्रामकता निपुणता।
↳ अन्य आर्थिक समृद्धि बनाए रखना।

(5) आस्ट्रेलिया: चीन से निपटना व प्रभाव बढ़ाना।

वस्तुत: भारत के प्रमुख सहयोगियों से संबंध मजबूत करना, व्यापारिक सहयोग में वृद्धि, सैन्य क्षमता विस्तार (जैसे: वियतनाम को पोत, फिलीपींस को ब्रह्मोस, सिंगापुर में पोर्ट निर्माण) तथा AUKUS के जवाब में संस्थागत सहयोग विस्तार करना, IOR में UAE, अफ्रीकी देशों से सहयोग करना तथा बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थल के रूप में स्थापित होने से पहले, भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

There is a need to address the underlying challenges, both internal and external, in the North-Eastern region of India before it can serve as a pivotal connecting space between India and its neighbours. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत अपने पड़ोसियों से जुड़ने संपर्क हेतु IMT, रेलवे जुड़ाव, सड़क, IMST BBIN

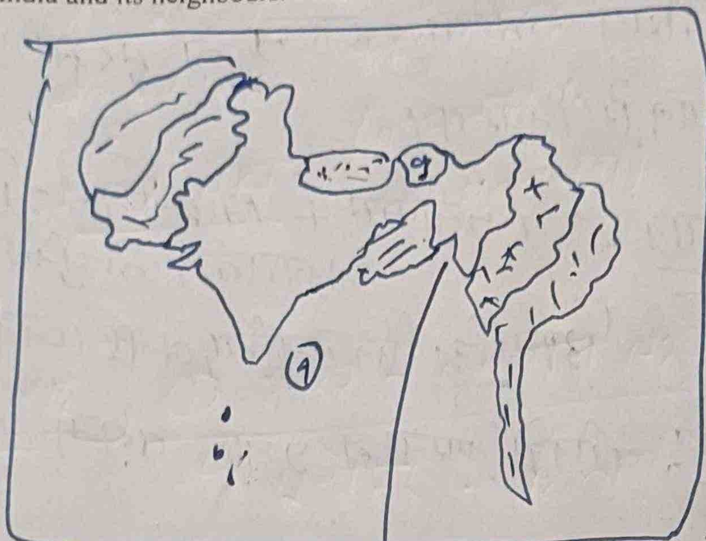

भारत व इसके पड़ोसी देश।

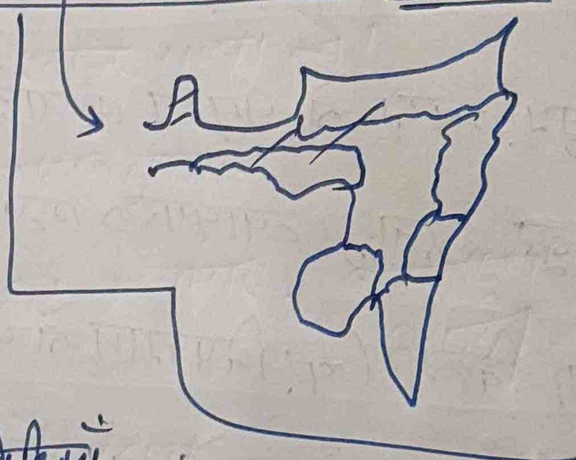

पूर्वोत्तर

इत्यादि प्रयास कर रहा है हालांकि इसे पहले पूर्वोत्तर भारत की निम्न चुनौतियों से निपटना चाहिए

आंतरिक (1) उग्रवादी गतिविधियाँ
उदा: NSCN IM, ULFA, बोडो उग्रवादी आदि

(2) नृजातीय टकराव (उदा: हालिया मणिपुर मैतेई - कुकी)

(3) सीमा विवाद उदा: असम-त्रिपुरा दिसंग सीमा

विवाद घटना

① विवादास्पद मुद्दे : अफस्पा, क्रेमिनिटी, विवाद
↳ की स्थिति। गरीबी, जनजातीय आबादी आदि।

② **बाह्य चुनौतियाँ** (i) म्यांमार से अवैध प्रवासी

- म्यांमार में सत्ता परिवर्तन
- पूर्वोत्तर के नृजातीय संबंध
- खुली सीमा
- तस्करी (हेरोइन, हथियार आदि)

③ आंतरिक सुरक्षा चुनौती :
यथा: सिन्हा समिति - विदेशी एजेंसियां (ISI) अवैध प्रवासियों का प्रयोग करती हैं।

④ विदेशी सहयोग से अस्थिरता
यथा: चीन द्वारा पूर्वोत्तर में हिंसा भड़काना।

④ विवादास्पद मुद्दे यथा: चीन के अरुणाचल में अवैध दावे।
↓
भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश में उग्रवादियों के अड्डे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पूर्वोत्तर का महत्व

भारत की 4% आबादी (क्षेत्र से अधिक)

8% भूमि 40% जल शक्ति संसाधन

पूर्वोत्तर के वन संसाधन (वन 50-70% क्षेत्र में वनावरण)

जनजातीय समृद्धता — जैसे धोखा संस्कृति, हस्तशिल्प आदि।

आगे की राह

① भारत - जापान सहयोग पूर्वोत्तर के विकास में।

② अधिक बजट देना - पूर्वोत्तर राज्यों को।

③ कनेक्टिविटी, अवसंरचनात्मक सुधार।

④ पड़ोसियों से सहयोग जैसे म्यांमार, बांग्लादेश आदि।

⑤ पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा जैसे 'मावल्यांग' एशिया का स्वच्छतम गांव (मेघालय)

समाहार: पूर्वोत्तर का विकास निश्चित भारत के लक्ष्य के साथ स्थिर, सशक्त व समृद्ध भारत को बनाएगा।